

माननीय एस. एस. सोधी और अशोक भान, जे. जे. के समक्ष

मेसर्स मोलू माल बरु जैन और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

अपवाद और कर आयोग और अन्य, प्रतिवादी।

1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 2054

12 सितंबर, 1991।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226- धारा 14 और 19 (1) (च) और (छ)-हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 धारा 36 (3) और (4)-तलाशी और जब्ती-संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) और (च) और (छ) का उल्लंघन करने वाली इस धारा के तहत आयकर अधिकारी की शक्ति-जब्ती के लिए 165 Cr.P.C के प्रावधानों की कोई प्रयोज्यता नहीं- 'अधिनियम' की धारा 36 (3) और (4) की वैधता को चुनौती दी गई- अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 36 (3) और (4) अधिकार क्षेत्र के भीतर और वैध है।

तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उठाए गए तर्कों का पूरा जवाब अग्रवाल इंजीनियरिंग स्टोर्स और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 28 एस.टी.सी. 507 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा प्रदान किया गया है, जहां यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 में ठीक उसी तरह के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता, अर्थात् खंड 13 (3), विचार के लिए सामने आई थी और उसकी चुनौती उसी आधार पर थी जो यहाँ है।

(पैरा 4)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यह देखा जाएगा कि अधिनियम की धारा 336 की उप-धारा (3) और (4) के तहत शक्तियों के समक्ष विशिष्ट शर्तें और परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं और ये स्पष्ट रूप से मनमानेपन की इस शक्ति को नकारने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होगा जब संबंधित लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज अधिनियम के तहत दायित्व की चोरी के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समय और तरीके से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

(पैरा 6)

अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार कानून में स्थापित स्थिति होने के कारण और अग्रवाल इंजीनियरिंग के मामले (ऊपर) द्वारा प्रदान की गई न्यायिक मिसाल से सम्मानपूर्वक सहमत होने के कारण हम अधिनियम की धारा 36 की उप- धारा (3) और (4) को अधिकार क्षेत्र के भीतर और वैध मानते हैं।

(पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि निम्नलिखित राहतें प्रदान की जाए: -

(ए) अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों को उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के विपरीत घोषित किया जाए;

(बी) याचिकाकर्ताओं के व्यावसायिक परिसरों पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा तलाशी और जब्ती को पूरी तरह से अवैध और शून्य घोषित किया जाना चाहिए।;

सी) परमादेश की रिट की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं के व्यावसायिक परिसर से प्रतिवादी द्वारा जब्त की गई सभी किताबें, रजिस्टर, दस्तावेज और नकदी तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाए और प्रतिवादी को किसी भी कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसी किसी भी पुस्तक, खाते (डी) एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए, जिसमें 14 फरवरी को याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में उनके परिसर में की गई तलाशी और जब्ती के आधार पर प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं या उनके भागीदारों के खिलाफ कोई भी परिणामी कार्यवाही करने से रोका जाए। 1990,; दस्तावेज या रजिस्टर का उपयोग करने से रोका जाए।

(डी) 14 फरवरी, 1990 को याचिकाकर्ताओं की अनुपस्थिति में उनके परिसरों में की गई तलाशी और जब्ती के आधार पर याचिकाकर्ताओं या उनके भागीदारों के खिलाफ कोई परिणामी कार्यवाही करने से प्रतिवादी को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया जाए।

कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जो यह माननीय न्यायालय इस मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाए;

याचिकाकर्ताओं को याचिका के खर्च की भी अनुमति दी जाए;

रिट याचिका की अग्रिम प्रतियों की सेवा और अनुलग्नक

पी/एल से पी/2 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए ।

**याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. मित्तल और
अधिवक्ता आर. एस. सुरजेवाला।**

प्रतिवादी (राज्य) की ओर से अधिवक्ता मणि राम।

निर्णय

एस. एस. सोधी, जे.

(1) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 36 की उपधारा (3) और (4) में निहित तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को यहां चुनौती दी जा रही है।

प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:—

1. पुस्तकों, दस्तावेजों और खातों के निरीक्षण का उत्पादन:

XXXXXXXXXX

1. यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि कोई व्यापारी अधिनियम के तहत कर या अन्य बकाया के लिए दायित्व से बचने का प्रयास कर रहा है, और यह कि उसके दायित्व की जांच के उद्देश्य से कुछ भी आवश्यक किसी पुस्तक, खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ में पाया जा सकता है, तो वह ऐसी पुस्तक, खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ को जब्त कर सकता है जो आवश्यक हो। पुस्तक, खाता, रजिस्टर या दस्तावेज़ को जब्त करने वाला अधिकारी इसके लिए तुरंत एक रसीद देगा और -

- a. पुस्तक, खाता, रजिस्टर या दस्तावेज़ के मामले में जिसका उपयोग जब्त करने के समय किया जा रहा था, जब्ती की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर;
- b. किसी अन्य मामले में, जब्त करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर;

इसे व्यापारी या उस व्यक्ति को वापस कर दें, जिसकी हिरासत से इसे जांच के बाद या ऐसी प्रतियां या उद्धरण लेने के बाद जब्त किया गया था, जो आवश्यक समझे जाएं बशर्ते कि व्यापारी या उपरोक्त व्यक्ति उसे वापस की गई पुस्तक, खाता, रजिस्टर या दस्तावेज़ के लिए लिखित में रसीद दे।ऐसा अधिकारी, पुस्तक लेखा, पंजीकरण या दस्तावेज लौटाने से पहले, अपने हस्ताक्षर और अपनी आधिकारिक मुहर उस पर एक या अधिक स्थानों पर लगा सकता है, और ऐसे मामले में व्यापारी या उपरोक्त व्यक्ति को अपने द्वारा दी गई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करना होगा जहां - प्रत्येक पुस्तक, खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगाई गई है:बशर्ते कि जब्त किए गए पुस्तक खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ को यदि आवश्यक हो तो लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है।बशर्ते कि जब्त की गई पुस्तक, लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज़ को आयुक्त के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवधि से अधिक समय के लिए रखा जाता है, ऐसा करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और प्राधिकारी द्वारा आयुक्त की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

1. उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों की सहायता से, जो वह आवश्यक समझे, विक्रेता के किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम, माल वाहक या किसी अन्य व्यवसाय स्थान या किसी भवन, निवास स्थान या स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, जहां ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि विक्रेता अपने व्यवसाय से संबंधित कोई पुस्तक, खाते, रजिस्टर, दस्तावेज या सामान रखता है या कुछ समय के लिए रख रहा है:बशर्ते कि किसी आवास में ऐसा कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा:—

- i. सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले;
- ii. आबकारी और कराधान अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा;

iii. उपायुक्त या उप-मंडल अधिकारी (सिविल) की मंजूरी प्राप्त किए बिना, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा घर स्थित है।”

(2) इन आईटी प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि खातों का उपयोग केवल तभी स्वीकार्य है जब यह मानने के लिए उचित आधार हों कि डीलर अधिनियम के तहत कर या अन्य देय राशि के दायित्व से बचने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा, उस अवधि में एक समय सीमा होती है जिसके लिए किसी भी खाते की किताबें, जब्ती के समय उपयोग में आने वाली किसी भी किताब, खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ के मामले में 10 दिन और किसी अन्य में साठ दिन रखी जा सकती हैं। मामला। हालाँकि, यदि पुस्तकों को आयुक्त के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लंबी अवधि के लिए रखा जाना है। इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और आयुक्त की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। कोई भी किताब या दस्तावेज़ लेने पर रसीद भी देनी होगी।

(3) इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी किसी आवास गृह में तलाशी के लिए प्रवेश नहीं करेगा और वह भी उप आयुक्त या उपमंडल अधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा घर स्थित है।

(4) याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एस.मिस्तल का यह तर्क था कि अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) और (4) के प्रावधान तलाशी और जब्ती की अनियंत्रित शक्ति प्रदान करते हैं जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (च) और (छ) का उल्लंघन है। संबंधित अधिकारी द्वारा खाता पुस्तकों की तलाशी और जब्ती शुरू करने से पहले कर देनदारी की चोरी का संदेह करने के लिए किसी भी कारण को लिखित रूप में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में, खोज के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 165 के प्रावधानों की प्रयोज्यता की चूक पर बहुत जोर दिया गया

था। दूसरा मुद्दा यह है कि तलाशी और जब्ती शुरू करने वाले संबंधित अधिकारी को लेखन में अपने कारणों को दर्ज करने के बाद ही ऐसा करने के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि लेखा पुस्तकें अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) और (4) के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण के अलावा प्राप्त नहीं की जा सकती थीं। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील की मुख्य निर्भरता वाणिज्यिक कर आयुक्त में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर है; राजस्व बोर्ड मद्रास और एक अन्य बनाम राम कृष्ण श्रीकिशन जे. हान एर आदि (1), जिसमें मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 41 की उप-धारा (2) और (3) में निहित तलाशी और जब्ती से संबंधित प्रावधानों को वैध ठहराया गया है, उन कारणों में से अधिनियम के तहत की गई तलाशी के लिए प्रयोज्यता थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (4) के तहत तलाशी के लिए इन प्रावधानों को लागू नहीं करने पर बहुत जोर दिया। (हालाँकि, अग्रवाल इंजीनियरिंग स्टोर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा उठाए गए तर्कों का पूरा जवाब दिया गया है, जहाँ ठीक उसी तरह के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता--U.P. बिक्री कर-अधिनियम, 1948 अर्थात् धारा 13, विचार के लिए सामने आई और उसे चुनौती उसी आधार पर दी गई थी जो यहाँ दी गई थी)। धारा 13 (3) उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा इस प्रकार है:—

"यदि उप-धारा (2) के तहत अधिकृत किसी भी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि कोई भी डीलर इस अधिनियम के तहत दायित्व या कर या अन्य देय राशि से बचने की कोशिश कर रहा है, और उसके दायित्व की जांच के उद्देश्य से कुछ भी आवश्यक पाया जा सकता है किसी भी खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ में, वह आवश्यक होने पर ऐसे खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ को जब्त कर सकता है। खाते, रजिस्टर या दस्तावेज़ को जब्त करने वाला अधिकारी तुरंत इसकी रसीद देगा, और जब्ती की तारीख से नब्बे दिनों की

अवधि के भीतर उन्हें डीलर या उस व्यक्ति को लौटाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी हिरासत से उन्हें जब्त किया गया था लेकिन ऐसी प्रतियों या उद्धरणों जो आवश्यक समझे जा सकते हैं, को लेने के बाद, बशर्ते कि डीलर या डीलर या पूर्वोक्त व्यक्ति उसे लौटाए गए खाते, रजिस्ट्रार या दस्तावेज़ के लिए लिखित रूप में रसीद दे। अधिकारी खाता, पंजीकरण या दस्तावेज लौटाने से पहले उस पर एक या अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर और अपनी आधिकारिक मुहर लगा सकता है और ऐसे मामले में व्यापारी या उपरोक्त व्यक्ति को अपने द्वारा दी गई रसीद में उन स्थानों की संख्या का उल्लेख करना होगा जहां ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर प्रत्येक खाते, रजिस्टर या दस्तावेज पर चिपकाई गई है।”

(5). अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (3) ने निर्देशहीन और मनमाना शक्ति प्रदान की, उनमें से एक यह थी कि लेखा पत्रों की खोज करने और उन्हें जब्त करने वाले अधिकारी को अपने विश्वास के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता न थी और न ही तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया को विनियमित करने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 165 के प्रावधान लागू किए गए थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (5)" उचित "को न्यायिक आधार बनाने के लिए बाध्य नहीं करता है। यह एक ऐसे उपकरण का हिस्सा है जिसे सरकार के पहियों को गति में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह आवश्यक रूप से लचीला नहीं है।" पीठ ने आगे कहा:—

“अभिग्रहण की शक्ति भी कई अन्य तरीकों से बहुत सीमित है। सबसे पहले, शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अधिकृत अधिकारी के पास "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हों (1) कि कोई व्यापारी कर के लिए दायित्व से बचने की कोशिश कर रहा है" और (2) कि उसके दायित्व की जांच के उद्देश्य से जो कुछ भी आवश्यक है, एक खाते, रजिस्टर या दस्तावेजों में पाया जा सकता है। तलाशी और जब्ती करने से पहले इन दोनों चीजों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार होना चाहिए। उचित आधार वस्तुनिष्ठ रूप से मौजूद होना

चाहिए और अदालत में परीक्षण किया जा सकता है। जहाँ अदालत को पता चलता है कि वे मौजूद नहीं थे, वहाँ तलाशी और जब्ती अवैध होगी। *सम्राट वी. विमलबाई देशपांडे, बेरियम चेनिकल्स लिमिटेड बनाम कंपनी लॉ बोर्ड, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बनाम एस. डी. अग्रवाला* यह कि कानून अधिकृत अधिकारी को अपने विश्वास के लिए उचित आधार दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं करता है, यह कम महत्वपूर्ण है।

(6) इसके अलावा, यह देखा जाएगा कि अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) और (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले विशिष्ट शर्तें और परिस्थितियां निर्धारित की गई हैं और ये स्पष्ट रूप से मनमानेपन की इस शक्ति को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होगा जब संबंधित लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को अधिनियम के तहत दायित्व की चोरी के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समय और तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

(7) यह भी ध्यान देने योग्य है कि तलाशी और जब्ती की ऐसी शक्ति आयकर अधिनियम की धारा 132 और 132-ए और उसके नियम 112 और 112-ए के तहत भी उपलब्ध है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने पूरन मल बनाम आयकर निदेशक, नई दिल्ली और अन्य (3) मामले में बरकरार रखा है। यह विशेष रूप से माना गया था कि यह शक्ति न तो अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण थी और न ही भारत में संविधान के अनुच्छेद 19 (एफ) और (जी) का उल्लंघन करती थी।

(8) इस प्रकार कानून में स्थापित स्थिति होने और अग्रवाल इंजीनियरिंग के मामले (ऊपर) द्वारा प्रदान की गई न्यायिक मिसाल से सम्मानपूर्वक सहमत होने के कारण, हम अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) और (4) को अधिकार क्षेत्र के भीतर और वैध मानते हैं।

(9) मामला अब योग्यता के आधार पर रिट याचिका के निपटारे के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को भेजा जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रशमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुर्रुग्राम, हरियाणा